राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6069/2024

सुशील कुमार पुत्र श्री रामकिशन भूरानी, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी थड़े की घाटी, खेजड़ी चौक, बड़ला चौक, पुलिस थाना सदर कोतवाली, जोधपुर ----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से ---- प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री साजिद खान

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री अंडा राम चौधरी, पीपी

सुश्री कमला गोस्वामी, पी.पी.

श्री सचिन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में

श्री प्रीतम जोशी एवं

श्री करण परिहार.

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट योग्य

15/07/2024

1. यह आवेदक की ओर से पुलिस स्टेशन रातानाडा जिला जोधपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 87/2024 के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका है, जो आईपीसी की धारा 420, ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 102, 103, 104 और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63, 65 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई है। आवेदन के निपटान के लिए प्रासंगिक और आवश्यक संक्षिप्त तथ्य नीचे दिए गए हैं:

2. मैं वर्तमान याचिका के निपटान के लिए प्रासंगिक तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख करता हूं। एफआईआर में आरोप है कि 07.04.2024 को जब पुलिस दल ने हनुमान प्रसाद राठी के घर पर छापा मारा, तो उसके घर से बड़ी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के नकली उत्पाद, कच्चा माल, विभिन्न कंपनियों के रैपर और अंतिम उत्पाद मिले। पुलिस द्वारा जब्त की गई सामग्री में ब्रांडेड कंपनियों के घी की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रैपर, लोहे के टिन, इनर पाउच, घी पैकेजिंग मशीन के साथ-साथ नमक, चाय, डिटर्जेंट और घी उत्पाद शामिल हैं।

3. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने जोरदार तरीके से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं था, वह जब्ती और बरामदगी के स्थान पर नहीं मिला। प्रभावित कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। सह-आरोपी हनुमान प्रसाद राठी को पहले ही सीआरपीसी की धारा 439 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

4. यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता निर्दोष व्यक्ति है और याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई वर्तमान एफआईआर झूठी और निराधार है; याचिकाकर्ता को झूठे मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है; धोखाधड़ी, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन के अपराधों के अलावा अन्य अपराधों के लिए उसके खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं है; उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है; याचिकाकर्ता पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का कोई आरोप नहीं है और आवेदक से कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है; सह-आरोपी हनुमान प्रसाद राठी पहले से ही जमानत पर रिहा है। इसलिए, उसके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसके पक्ष में अग्रिम जमानत का आदेश पारित किया जा सकता है।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान लोक अभियोजक ने आवेदक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि अब तक एकत्र की गई सामग्री के आधार पर, जांच अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराधों का दोषी है; आवेदक के खिलाफ ब्रांडेड कंपनियों के नकली उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करके आम जनता को धोखा देने और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप हैं। विद्वान पीपी ने दृढ़ता से कहा है कि याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ के अभाव में, इस मामले में जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया जा सकता है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाना उचित है।

6. मैंने विद्वान बचाव पक्ष के वकील और विद्वान सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों की सराहना की है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भद्रेश बिपिनभाई शेठ बनाम गुजरात राज्य (2016) 1 एससीसी 152 के मामले में निर्धारित किए गए सिद्धांत और मापदंडों को वर्तमान मामले में लागू करते हुए और दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने और केस डायरी के साथ-साथ रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सह-आरोपी के घर में बड़ी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के नकली उत्पाद, कच्चा माल, विभिन्न कंपनियों के ब्रांडों के रैपर और अंतिम उत्पाद पाए गए। पुलिस द्वारा जब्त की गई सामग्री में बड़ी संख्या में लोहे के टिन, आंतरिक पाउच, घी पैकेजिंग मशीन के साथ-साथ नमक, चाय, डिटर्जेंट और घी के नकली उत्पाद शामिल थे। जांच में पता चला है कि याचिकाकर्ता सुशील कुमार और मुख्य आरोपी हनुमान प्रसाद राठी पिछले एक साल से यह धंधा चला रहे थे और मुनाफे में आधा हिस्सा बांट रहे थे। आरोपित अपराध आम जनता के स्वास्थ्य के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ है, जो ब्रांडेड और विश्वसनीय उत्पाद के लिए भारी कीमत चुकाते हैं, फिर भी उन्हें खाने-पीने की चीजें समेत नकली सामग्री मिलती है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

8. यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता एक गंभीर अपराध में शामिल है। जांच अभी भी जारी है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा कानून की प्रक्रिया से बचने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या शिकायतकर्ता को धमकाने की संभावना बनी हुई है। मेरे विचार से, चूंकि मामला शुरू होने वाला है और जांच चल रही है, इसलिए याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दिए जाने की स्थिति में यह जांच को व्यावहारिक रूप से बाधित करेगा, जिससे सच्चाई तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न होगी।

9. स्थापित सिद्धांतों, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा आवेदक के विरुद्ध स्थापित मामले को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विरुद्ध लगाए

गए आरोपों के संबंध में यह न्यायालय प्रथम दृष्टया यह मानता है कि यह याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दिए जाने का उपयुक्त मामला नहीं है।

10. परिणामस्वरूप, अग्रिम जमानत के लिए तत्काल आवेदन योग्यता से रहित है और तदनुसार खारिज कर दिया गया है।

11. ऊपर जो भी चर्चा की गई है या देखा गया है वह केवल प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण है और मामले के गुण-दोष पर किसी भी राय के बराबर नहीं होगा।

(राजेन्द्र प्रकाश सोनी), जे.

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।